[redacted]

(100) R-988-PBR/17

र.रा. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल इंदौर कैम्प इंदौर

1- शब्बीर हुसैन पिता डॉ0 अब्बास अली

2- शाकीर हुसैन पिता डॉ. अब्बास अली

3- शमीम बी बानो पति स्व. शहजाद हुसैन

तीनों निवासी बंगला नं. 64, प्लाउड्नरोड, महू

4- प्रकाश अग्रवाल पिता प्रहलाद अग्रवाल

निवासी मोती चौकी महू जिला इंदौर

22.3.17

... प्रार्थीगण

विरुद्ध

1- शरदचंद पिता गणेश गोलवलकर

2- दीपक पिता शरदचंद गोलवलकर

दोनों निवासी विक्रमनगर किशनगंज महू जिला इंदौर

3- महेश पिता ओमप्रकाश माहेश्वरी

नि. 18, तिरुपति धाम किशनगंज. महू

4- चंचल पति महेश माहेश्वरी

5- तुषार पिता महेश माहेश्वरी

निवासी 17, तिरुपतिधाम किशनगंज. महू

... प्रतिप्रार्थीगण

पुर्ननिरीक्षण याचिका अंतर्गत 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता के तहत

यह रिवीजन याचिका श्रीमान तहसीलदार महोदय, महू द्वारा रा0प्र0क्र0 01/अ-11/16-17 में दिनांक 2.3.2017 को पारित अंतरिम आदेश से असंतुष्टि होकर श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्य :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी १४४–पीबीआर/17 [शब्बीर हुसैन/शरदचंद] जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–3–2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–3–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उस आवेदन पत्र के समर्थन में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जबकि अनावेदकगण द्वारा अपने तर्क के समर्थन में प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, इसलिये तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	